प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 29.04.2026

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा 21 शातिर अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की गयी ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री जे0 रविंदर गौड व श्रीमान पुलिस उपायुक्त नगर महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री धवल जायसवाल के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु 05 शातिर अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत, 10 शातिर अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत व 06 शातिर के विरुद्ध हिस्ट्रीशीट खोलकर सतत निगरानी कराये जाने की कार्यवाही की गयी। अपराधियों के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद व अन्य जनपदों के विभिन्न थानों पर 154 से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं, जिनका विवरण निम्नवत है,-

गैंगस्टर एक्ट

क0 सं0	अपराधी का नाम	थाना	पंजीकृत अभियोगों की सं0
1	इमरान पुत्र अयुब नि0 कैला भट्ठा थाना कोतवाली गाजियाबाद । उम्र 41 वर्ष (एनडीपीएस से संबंधित अभियोग)	सिहानीगेट	3
2	जिसान पुत्र जहुर नि0 कैला भट्ठा थाना कोतवाली गाजियाबाद । उम्र 31 वर्ष (एनडीपीएस से संबंधित अभियोग)	सिहानीगेट	9
3	वसीम पुत्र अलीमुद्दीन नि0 कैला भट्ठा थाना कोतवाली गाजियाबाद । उम्र 33 वर्ष (एनडीपीएस से संबंधित अभियोग)	सिहानीगेट	2
4	सकील पुत्र खलील नि0 कैला खेड़ा थाना विजयनगर गाजियाबाद। उम्र 24 वर्ष (चोरी से संबंधित अभियोग)	विजयनगर	4
5	अश्वनी पुत्र शेखर नि0 काशीराम नगर कालोनी थाना विजयनगर गाजियाबाद। उम्र 21 वर्ष (चोरी से संबंधित अभियोग)	विजयनगर	4

हिस्ट्रीशीट

क0 सं0	अपराधी का नाम	थाना	पंजीकृत अभियोगों की सं0
1	अंजलि पत्नी वैभव पुत्री नरेन्द्र सिंह नि0 फ्लेट नं0 एल 804 कमोरा सोसायटी राजनगर एक्सटेंशन, थाना नन्दग्राम गाजियाबाद। उम्र 29 वर्ष	नन्दग्राम	2
2	साबिर खां पुत्र शब्बीर नि0 एचआर 257/7 पुल प्रह्लाद पुर दिल्ली, हाल पता 91 रोहन एन्कलेव डासना, थाना वेवसिटी, गाजियाबाद। उम्र 46 वर्ष	वेवसिटी	8
3	जावेद पुत्र सलीम नि0 एच ब्लॉक प्रताप बिहार विलाल मेडिकल स्टोर के पास कैला खेड़ा, थाना विजयनगर गाजियाबाद। उम्र 37 वर्ष	विजयनगर	19
4	फरदीन पुत्र मौ0 हारून नि0 कैला खेड़ा, थाना विजयनगर गाजियाबाद। उम्र 24 वर्ष	विजयनगर	23
5	रंजन गुप्ता पुत्र बाबू उर्फ राजवीर नि0 परशुराम वाली गली कैलाशनगर, थाना विजयनगर गाजियाबाद। उम्र 29 वर्ष	विजयनगर	7
6	दीपक शर्मा पुत्र राम कुमार नि0 शिव मन्दिर वाली गली कैलाश नगर थाना विजयनगर गाजियाबाद। उम्र 28 वर्ष	विजयनगर	10

गुण्डा एक्ट

क्र0सं0	अपराधी का नाम	थाना	पंजीकृत अभियोगों की सं0
1	एकलव्य पाठक पुत्र अमित पाठक नि0 पी2 /1203 गुलमोहर गार्डन सोसायटी राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद। उम्र 20 वर्ष	नन्दग्राम	2
2	अरुण उर्फ निखिल पाल पुत्र सतपाल नि0 म0नं0 09 कौशलनगर सिहानी थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद। उम्र 19 वर्ष	नन्दग्राम	10
3	अन्नू उर्फ अनुज पुत्र कौशल उर्फ मनोज वर्मा नि0 म0नं0 433 विश्वासनगर कौशलनगर सिहानी थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद। उम्र 35 वर्ष	नन्दग्राम	8
4	कृष्ण पांचाल पुत्र सुशील पांचाल नि0 गली नं0 3 भीमनगर खजूर वाली गली ब्रह्मपुरी घूकना थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद। उम्र 28 वर्ष	नन्दग्राम	4
5	सोनू उर्फ एंटी पुत्र जयप्रकाश नि0 म0नं0 2, 30 फुटा रोड थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद। उम्र 39 वर्ष	नन्दग्राम	3
6	जाहिद पुत्र हामिद उर्फ हमीद नि0 ग्राम मिर्जापुर सैक्टर 12 प्रतापविहार थाना विजयनगर, गाजियाबाद। उम्र 45 वर्ष	विजयनगर	3
7	सलीम पुत्र नूर इलाही नि0 उमर मस्जिद के पास कैला खेडा थाना विजयनगर, गाजियाबाद। उम्र 36 वर्ष	विजयनगर	2
8	नौशाद पुत्र अलीहसन नि0 665 उमर मस्जिद के पास कैला खेड़ा थाना विजयनगर, गाजियाबाद। उम्र 27 वर्ष	विजयनगर	4
9	फरदीन पुत्र हारुन नि0 कैलाखेड़ा थाना विजयनगर, गाजियाबाद। उम्र 21 वर्ष	विजयनगर	23
10	शिवम शर्मा उर्फ शिवम पंडित पुत्र संजय शर्मा नि0 95 बौझा पटेलनगर थाना सिहानीगेट, गाजियाबाद। उम्र 28 वर्ष	सिहानीगेट	4

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा टप्पेबाजी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पीले धातु की 01 चेन, पीले धातु के 02 कुण्डल, पीले धातु के 02 झुमके व 2100/- रुपये बरामद।

दिनांक 14/04/2026 को थाना मोदीनगर पर वादी सतेन्द्र नेहरा निवासी सौन्दा रोड़ जटवाड़ा बेगमाबाद मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की माता जी के साथ छल कर कानों के कुण्डल गायब कर लिये गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा -318(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 28/04/2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1.भीम पुत्र रामलाल निवासी शिव विहार कराला थाना कन्जवाला दिल्ली 2.राजू सोलंकी पुत्र स्व0 रमेश सोलंकी निवासी लोनी सभापुर अंजली विहार श्री राधे कान्हा चौक थाना अंकुर विहार गाजियाबाद 3.परवीन कुमार पुत्र किशन निवासी लोनी सभापुर अंजली विहार श्री राधे कान्हा चौक थाना अंकुर विहार गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से पीले धातु की 01 चेन, पीले धातु के 02 कुण्डल, पीले धातु के 02 झुमके व 2100/- रूपये

बरामद। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा - 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि हम सभी लोग अपने साथियों के साथ मिलकर भीड़भाड़ वाली जगह देखकर महिलाओं को गुमराह करके उनके पहने हुए आभूषणों को उतरवा लेते हैं। घटना कारित करने में हम वृद्ध महिलाओं को अपनी बातो में उलाझाकर उन्हे यह एहसास दिला देते थे कि हम उनकी मदद कर रहे है। जब महिलाओं का हम पर पूर्ण विश्वास हो जाता था तो वह स्वयं ही अपने आभूषण उतार कर दे देती थी। हमने दिनांक 13.04.2026 को थाना मोदीनगर की बस स्टैण्ड के पास एक वृद्ध महिला से उसके कानों के कुण्डल लिये थे। इस घटना को हम लोगों ने अंजाम दिया था तथा दिनांक 12.04.2026 को थाना मुरादनगर रेलवे स्टेशन शौचालय के पास एक वृद्ध महिला से गले की चेन ले ली थी तथा दिनांक 30.03.2026 को थाना क्रांसिग रिपब्लिक के तिगड़ी गोल चक्कर बहरामपुर से एक महिला से कानों के झुमके व अन्य सामान भी लिया था जिसे राह चलते व्यक्तियों को बेच कर मिले पैसो को आपस में बाँट लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.भीम पुत्र रामलाल निवासी शिव विहार कराला थाना कन्जवाला दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष।

2.राजू सोलंकी पुत्र स्व0 रमेश सोलंकी निवासी लोनी सभापुर अंजली विहार श्री राधे कान्हा चौक थाना अंकुर विहार गाजियाबाद पूर्व किरायेदार पता संजय कालौनी अर्थला, साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष।

3. परवीन कुमार पुत्र किशन निवासी लोनी सभापुर अंजली विहार श्री राधे कान्हा चौक थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

1. अर्जुन पुत्र किशन निवासी लोनी सभापुर अंजली विहार श्री राधे कान्हा चौक थाना अंकुर विहार गाजियाबाद

2. मनोज पुत्र किशन निवासी बुध विहार दिल्ली।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग, थाना मुरादनगर पर टप्पेबाजी का 01 अभियोग व थाना क्रासिंग रिपब्लिक पर टप्पेबाजी का 01 अभियोग पंजीकृत हैं तथा अभियुक्त राजू पुत्र स्व0 रमेश उपरोक्त के विरूद्ध थाना विजयनगर पर आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तगण के अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- ❖01 पीले धातु की चेन
- ❖02 पीले धातु के कुण्डल
- ❖02 पीले धातु के झुमके
- ❖2100/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम ।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 21.04.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त राहुल झा पुत्र राजेश झा निवासी मूवी मैजिक वाली गली इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद द्वारा वादिया के साथ मारपीट व दुष्कर्म करना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 64(2)(j)/115(2) बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

आज दिनांक 29.04.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राहुल झा पुत्र राजेश झा निवासी मूवी मैजिक वाली गली इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं और वादिया करीब 04 साल से एक दूसरे को जानते थे तथा बातचीत करते थे । मैंने वादिया से शारीरिक सम्बन्ध बना लिये थे, जब वादिया ने मुझसे शादी करने को कहा तो मैंने उससे यह कह दिया कि तुम्हारी जाति अलग है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राहुल झा पुत्र राजेश झा निवासी मूवी मैजिक वाली गली इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम–

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25.04.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त कन्हैया पुत्र अवदेश निवासी सुभाष कॉलोनी बल्लभगढ हरियाणा द्वारा वादिया को फोन पर बातचीत ना करने को लेकर फोन पर धमकी देना, शादी का दबाव बनाना तथा वादिया की पुत्री उम्र करीब 05 वर्ष को घर से उठाकर ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा-351(4)/137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं अपहृता की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा अपहृता को बरामद किया गया।

दिनांक 28.04.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त कन्हैया पुत्र अवदेश निवासी ग्राम बिडौरा थाना बरोही जिला भिण्ड मध्य प्रदेश हाल निवासी सुभाष कालोनी, बल्लभगढ जिला फरीदाबाद हरियाणा उम्र करीब 25 वर्ष को लालबाग गेट के पास दिल्ली-सहारनपुर रोड़ थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि वादिया काफी समय पहले हमारे पडोस में किराये पर रहती थी और तभी से मैं वादिया से बात करना चाहता था परन्तु वह मुझसे बात नहीं करती थी, अब वह वहाँ से कहीं दूसरी जगह रहती है तो मैंने वादिया से बात करने के लिए दबाव बनाने की नियत से उसकी पुत्री को अपहरण करके ले गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कन्हैया पुत्र अवदेश निवासी ग्राम बिडौरा थाना बरोही जिला भिण्ड मध्य प्रदेश हाल निवासी सुभाष कालोनी बल्लभगढ जिला फरीदाबाद हरियाणा उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम–

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा समस्त थानों पर 'वादी संवाद दिवस' आयोजित किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया

जाता है। जिसके क्रम में आज दिनांक **29.04.2026** दिन **बुधवार** को कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर पूर्व की तरह **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया गया।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके क्रम में विवेचनाधीन अभियोगों (एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0) तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया गया।

आज दिनांक 29.04.2026 को आयोजित किये गए वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	**जोन**	**संवाद हेतु थानों पर उपस्थित आये वादियों की संख्या**
1.	नगर	87
2.	ट्रांस हिण्डन	49
3.	ग्रामीण	108
कुल कमिश्नरेट गाजियाबाद		**244**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गाजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त हो। यह नई पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा जनकेन्द्रित पुलिसिंग के दृष्टिगत भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार जारी रहेंगे।

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा का संकल्प – पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

श्री जे. रविन्दर गौड, पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, उनके अधिकारों की सुरक्षा एवं उनकी समस्याओं/शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान हेतु कमिश्नरेट के थानों पर गठित **वरिष्ठ नागरिक सेल** के कार्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश दिए गए हैं।

- वरिष्ठ नागरिक द्वारा प्रेषित प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर चाहे वह थाने/चौकी पर प्राप्त हुए हों, उच्चाधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हुए हों अथवा ऑनलाईन शिकायत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुए हों, थाने के वरिष्ठ नागरिक सेल द्वारा तत्काल संज्ञान लिया जाएगा।
- शिकायत प्राप्त होते ही तत्समय उपलब्धता के अनुसार पी0सी0मोबाइल/मिशन शक्ति केन्द्र के वाहन/पिंक बूथ के वाहन के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक सेल के प्रभारी अपनी टीम व सम्बन्धित बीट के BSI/BPO के साथ शिकायतकर्ता के पते पर पहुँचकर उनकी समस्या की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे एवं जानकारी प्राप्त करने दौरान पूर्ण संवेदनशीलता बरती जाएगी।
- समस्या के समाधान हेतु माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एवं उ०प्र० माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 में निहित प्रावधानों के अनुसार अथवा नियमानुसार बी०एन०एस० की उचित धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही कर समस्या/शिकायत के समाधान हेतु कार्यवाही की जाएगी।
- समस्त थानों के वरिष्ठ नागरिक सेल द्वारा **एक रजिस्टर** का रख-रखाव किया जाएगा जिसमें प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक शिकायतकर्ता के शिकायतों एवं उसके निस्तारण के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण अंकित किया जाएगा।
- प्रत्येक शिकायतकर्ता से उनके शिकायत के निवारण के सम्बन्ध में प्रत्येक 15 दिवस में वरिष्ठ नागरिक सेल के प्रभारी तथा बीट उपनिरीक्षक / बी०पी०ओ० द्वारा अलग-अलग फीडबैक प्राप्त किया जाएगा तथा फीडबैक को सम्बन्धित रजिस्टर में अंकित किया जाएगा।
- बीट उपनिरीक्षक/ बी०पी०ओ० द्वारा बीट भ्रमण के दौरान ऐसे समस्त वरिष्ठ नागरिकों के घर पर जाकर उनकी समस्या/शिकायत के निवारण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त किया जाएगा तथा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
- अपर पुलिस उपायुक्त, प्रोटोकॉल द्वारा फील्ड भ्रमण के दौरान थानों के वरिष्ठ नागरिक सेल का निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
- अपर पुलिस उपायुक्त, प्रोटोकॉल द्वारा वरिष्ठ नागरिक सेल के कार्यों की **मासिक समीक्षा** की जाएगी।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और सेवा के लिए निरंतर तत्पर है। समाज के इस महत्वपूर्ण वर्ग को सुरक्षित और निश्चिंत वातावरण प्रदान करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है।